कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार
जनपद हरिद्वार

पत्रांक दिनांक

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 04/5/2015 को जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत **प्रस्तावित गैंडीखाता–नौरंगाबाद** मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 1.603 हैक्ट0 भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–हरिद्वार द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी– हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि, उक्त 1.603 हैक्ट0 भूमि जो कि सिविल सोयम भूमि पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– हरिद्वार की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार	जिलाधिकारी, हरिद्वार

(मुहरें: जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार; प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार; जिलाधिकारी हरिद्वार)

पृ0स0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी, हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

47
~~50(E)~~

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – HARIDWAR (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Haridwar District – Haridwar constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Harish chand semwal , I.A.S. District Magistrate on Dated 4/5/2015 at 11 AM at Haridwar in which the application claiming rights in Mail area measuring 1.603 **Hect** for the Construction of Gandikhata-Norangabad Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Haridwar** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate
District level Committee
जिलाधिकारी
हरिद्वार

(48)

~~50(D)~~

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. Camp| Memo   Dated. 04/5/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 1.603 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D Uttarakhand** for New **Road Construction in Haridwar** district falls within jurisdiction of **Norangabad** Village in **Haridwar Sadar**Tehsils.

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.603 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(full name and official seal of he District Collector)

जिलाधिकारी
हरिद्वार

49

~~50~~ (8)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता–नौरंगाबाद मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता–नौरंगाबाद मोटरमार्ग के नवनिर्माण हेतु सिविल सोयम वनभूमि 1.603 हे0। वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड–स्तरीय वनाधिकारी समिति, तहसील हरिद्वार तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अन्नापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम 2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण किसी अनुसूचित जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्राहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड,देहरादून।

ह0.................

जिलाधिकारी हरिद्वार
हरिद्वार

(5) (0)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता –नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि0मी0

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त

प्रमाण–पत्र

जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित गैंडीखाता –नौरंगाबाद परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 1.603 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील हरिद्वार तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

SDM
HARDWAR

ह0/–
जिलाधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

Executive Engineer
P.M.G.S.Y, I.D.
6, Indira Nagar, Dehradun
Govt. of Uttarakhand

Technical Consultancy Services
Dehradun

प्रपत्र–23.2 (18)

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता –नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हरिद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैंडीखाता-नौरंगाबाद मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि (1.603हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.603 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचितजनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हरिद्वार) की दिनांक 16/4/2015 कोसम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वीर सिंह बुदियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वीर सिंह बुदियाल उपजिलाधिकारी हरिद्वार अध्यक्ष
2– श्री सन्त राम उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार सदस्य
3– श्री टी0 आर0 मलेठा सहायक समाज कल्याण अधिकारी बहादराबाद सदस्य / सचिव
4– श्री मती गुरप्रीत कौर बी0डी0सी0 क्षेत्र लालढांग सदस्य

(उप प्रभागीय वनाधिकारी; सहायक समाज कल्याण अधि... बहादराबाद; सदस्य बी0डी0सी0 लालढांग — stamps/signatures)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता –नौरंगाबाद मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.603हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री सन्त राम, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान

(Stamp: ...Technical Consultancy Services, Dehradun) 4

(40)

को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैंडीखाता –नौरंगाबाद परियोजना के निर्माण हेतु 1.603 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप
जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- SDM
जनपद HARDWAR

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हरिद्वार
जनपद हरिद्वार

SDM HARDWAR

(16)

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता —नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गैंडीखाता

तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गैंडीखाता —नौरंगाबाद परियोजना के निर्माण हेतु 1.303 हे0 आरक्षित वन भूमि वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौरंगाबाद द्वारा दिनांक 08/2/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौरंगाबाद के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत गैण्डीखाता
वि0ख0 बहादराबाद (हरिद्वार)
ह0/—
ग्राम प्रधान

नोट :— ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Technical Consultancy Services

4

प्रपत्र- 23.1

दिनांक:- 08/2/2015 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति !

ग्राम- पचांयत का नाम:- गैंडीखाता

ब्लाक:- बहादराबाद (हरिद्वार)

क्रमांक	ग्राम-सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम-वासियों के नाम	हस्ताक्षर
(01)	सर्वश्री मो० ईशा S/o श्री कालु (प्रधान)	मोहम्मद ईशा
(02)	श्रीमति सन्तो देवी W/o मोहन सिंह (उप-प्रधान)	सन्तरो
(03)	श्रीमति आसमा W/o श्री ईमानत अली (सदस्य)	आसमा
(04)	श्रीमति चमन देई W/o मायाराम (सदस्य)	[thumbprint]
(05)	श्रीमति उर्मिला देवी W/o श्री योगेन्द्र राम लाल →	[thumbprint]
(06)	श्रीमति सांवर देवी W/o योगेन्द्र →	[thumbprint]
(07)	श्रीमति सरोज देवी W/o श्री पुष्कर	सरोज देवी
(08)	श्री जसराम S/o श्री शेरा सिंह	जशराम
(09)	श्री नूर-आलम S/o माफी	नूर आलम
(10)	शमशेर-अली S/o मो० आलम	शमशेर अली
(11)	श्री गामा S/o अब्दुल्ला	गामा
(12)	श्री गुलाम मुस्तफा S/o सराजद्दीन	मुस्तफा
(13)	श्रीमति हुसन बीबी W/o नूर आलम	[thumbprint]
(14)	श्रीमति सुनीता W/o श्री धनराज सिंह	Sunita

मोहम्मद ईशा

प्रधान

ग्राम पंचायत गैण्डीखाता

वि०ख० बहादराबाद (हरिद्वार)

प्रपत्र – 23.1

दिनाँक 08/2/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम :- दुधला दयालवाला

ब्लाक :- बहादराबाद (हरिद्वार)

क्रमाँक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
(01.)	श्रीमति देवकी देवी W/o श्री देवेन्द्र सिंह (प्रधान)	देवकी
(02.)	श्री हरपाल सिंह S/o ~~श्री~~ स्व० करम सिंह (उप-प्रधान)	Har बाथला
(03)	श्री प्रेम सिंह S/o श्री विशन सिंह (सदस्य)	प्रेमसिंह
(04)	श्री बाबू राम S/o श्री रामकला (सदस्य)	बाबूराम
(05)	श्रीमति माया देवी W/o श्री हरनाम सिंह (सदस्य)	माया देवी
(06)	श्रीमति रामप्यारी W/o श्री बलदेव सिंह (सदस्य)	रामप्यारी
(07)	श्रीमति गुड्डी देवी W/o सोपाल सिंह (सदस्य)	गुड्डी देवी
(08)	श्रीमति सुरेन्द्र कौर W/o सन्तोख सिंह (सदस्य)	
		देवकी श्रीमती देवकी प्रधान गाँव दुधला दयालवाला (टाटवाला) ब्लाक बहादराबाद हरिद्वार